

हिस्सा प्रमाण पत्र

महोदय

संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी / प्रार्थनी नसीमा खानम पुत्री रामचंद्र खान निं० सी 193 माझा पुत्र

तहसील दहसूप जनपद अमरसिंह का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे / प्रार्थी / प्रार्थनी ने श्रीतभुवनेश्वर संलग्न अभिलेखों के आधार पर हिस्सा प्रमाण पत्र चाहा है।

नाम ग्राम	खाना खतानी स०	गाटा सं०	रकबा	हिस्सा	हिस्सा का रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
श्रीदपुरखर्खी	327	1020	2.760 हे०	0.510 हे० 2.760 हे०	0.510 हे०	
					0.510 हे०	

उपरोक्त तालिका में संलग्न दस्तावेजों व सहखातेदारों द्वारा बताये अनुसार प्रार्थी / प्रार्थनी के हिस्से का कुल क्षेत्रफल 0.510 हे० है।

आंकड़ा गेवा में पंजित है।

महोदय

लेखपाल श्री का सम्पत्ति/अप
17/2/2021
1553

Since
15-2-2021

सीतू लेखपाल
बेन शहीपुर जिला
बहु० इतनपुरा जमरोडा

हस्ताक्षर लेखपाल

17/2/2021
तहसीलदार
दहसूप

क्षेत्रफल 0-510 हे०, विस्म तिरीपत, दर 65,00,000/-रुपयि ३०, विपिका आराजी
 आबादी से तटी हुई है। मूल्य सूची के पृष्ठ-62 के पी०सी०-1010 के अनुसार।
 [भीहता जैता]

दस्तावेज का विलसिता नं०

104

यह लेखपत्र आज दिनांक	को संलग्न परिशिष्ट में अंकित विवरणानुसार रु०	1,59,750/- ✓
के कुल स्टाम्प	पन्नों पर विक्रीत सम्पत्ति के बाजारी मूल्य कुल रु०	33,90,000/-
पर अदा करते हुए श्री		

नीमती गजाता अकरम पत्नी श्री म०० अकरम खाँ जाति पठान निवासी भीहता
 कोट पूर्वी नवाबान क्त्वा व तहसील हसनपुर जिला अनरौहा। व म०० अकरम खाँ
 पुत्र श्री म०० अकरम खाँ जाति पठान नि०म०कोटपूर्वी नवाबानक्त्वा व तहसील
 हसनपुर जिला अनरौहा।

(विक्रेता प्रथम पक्ष)

ने रुपये 26,00,000/- [छब्बीस लाख रुपये]
 कि जिसके आधे रुपये 13,00,000/- [तेरह लाख रुपये]
 लेते हैं प्रतिफल के बदले में श्री
 नतीमा खानम पुत्री श्री रम० ए० खान निवासी 193 गामाप्रथम
 ग्रेटर नोखा जिला गौतमकुमार जाति पठान।

शाहपुर उला

(क्रेता) द्वितीय पक्ष

को हक में ग्राम तहसील हसनपुर
 जिला अनरौहा स्थित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण संलग्न प्रिन्टेड प्रोफार्मा के परिशिष्ट में दिया गया है सम्बन्ध
 में निम्नांकित किया

जो कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति
 हर प्रकार के ज़मान-भार, बिक्री एवं बन्धन आदि से मुक्त है तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण
 अधिकार प्राप्त है अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वस्त्य मस्तिष्क की दशा में खूब सोच समझकर
 अपनी आवश्यकता हेतु एवम् वर्तमान बाजारी मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवम् हितों
 सहित बिना कोई विषय सुरक्षित रखे, संलग्न स्टाम्प पर प्रतिफल के बदले में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया अब
 इस सम्पत्ति से (विक्रेता) प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता तात्पुनक किसी प्रकार का नहीं
 रहा है और न भविष्य में होगा विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना स्वामित्व व आधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष
 क्रेता का स्वामित्व व आधिपत्य करा दिया इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (विक्रेता) प्रथम पक्ष स्वत्व,
 अधिकार के अभाव या त्रुटि के कारण या किसी भागीदार को उत्पन्न होने या किसी अन्य कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल
 या अंश (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार से निकल जाये या उस पर (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या
 किसी भार, जिसका स्पष्ट उल्लेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने न किया हो (क्रेता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पड़े, ऐसी
 समस्त दशाओं में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा
 व्यय भार सब गव हर्जा खर्चा अदालत (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों की जात व जायगाद से जिरा प्रकार
 चाहे बसूल धर ले (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी।

Guzala Mishra (N Hanam)

इस विक्रय पत्र के सम्बन्ध में (विक्रेता) प्रथम पक्ष में प्रतिफल इस प्रकार प्राप्त किया गया है। कि रूपये

कुल धन पेशगी पतूल पाया।





निष्पादन के फोटो ने प्रमाणित किये हैं।
गवाहान की शताब्दपर महबूब आलम रडकोटे

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सन्द हो वक्त जरूरत काम आवे। इति

परिशिष्ट

विक्रीत सम्पत्ति स्थित जिला **अमरोहा**
ग्राम **शाहपुर कतां, तहसील हसनपुर**
विक्रीत क्षेत्रफल
0-510 हे०
विस्तृत विवरण

गाटा सं० 1020 मि० रकबा 2-760 हे० में से 0-510 हे० बख्तर अपनाकुल भाग लगान सा० 10=20 रु० दिवस लीपत है। उक्त नम्बर में सबबोरिंग कीमत 20000/= रु० व 50 पेड शीशम उम्र 05 वर्ष कीमत 1500/= रु० प्रति पेड से 75000/= रु० व 125 पेड आम व 03 पेड नीम व 50 पेड अमरुद व 25 पेड जामुन उम्र 08 वर्ष बिना फलदार कीमत 1500/= रु० प्रति पेड से 304500/= रु० कुल कीमत 399500/= रु० मानकर विक्रीत भागानुसार स्टाम्पअदाकिया है। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसे जेता ने कृषि प्रयोजनार्थ ही क्रय की है वृत्त जेता महिला है इतिर स्टाम्प 10 लाख रु० की मारितफत तक 04 प्रतिशत व बेश 1745000/= रु० की मारितफत पर 05 प्रतिशत की दरसे अदाकिया है।

प्रथम पक्ष Amaly द्वितीय पक्ष




(Nhanans)

गवाह: 1= शादाब खां पुत्री राहत खां,
नि०मो०कोट गढी, हसनपुर।
2= सलीमअनवार पुत्री अनवारअहमद
नि०मो०कोट चमन, हसनपुर।



Shadab Khan

Salim Anwar



Salim Anwar

ड्राफ्टकर्ता :- महबूब आलम रडकोटे तहसील हसनपुर। @Alam
ठाईपकर्ता :- अंशु अशुवाल ता०नं० 015 तहसील हसनपुर।